

21710 - रोज़े की क़ज़ा में विलंब करना

प्रश्न

एक साल मैंने अपनी मासिक अवधि के दिनों में रोज़ा नहीं रखा था, और अब तक मैं उन दिनों का रोज़ा नहीं रख पाई हूँ। जबकि इसपर कई साल बीत चुके हैं। मैं अपने ऊपर अनिवार्य रोज़ों के क़र्ज़ को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मेरे ऊपर कितने दिनों के रोज़े अनिवार्य हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए?।

विस्तृत उत्तर

आपको तीन चीजें करनी हैं :

पहली चीज़:

1 – आप इस विलंब के लिए अल्लाह के समक्ष पश्चाताप करें, अपनी पिछली लापरवाही पर पछतावा हो और फिर से ऐसा न करने का आप दृढ़ संकल्प करें। क्योंकि अल्लाह फरमाता है :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أُيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ {النور : 31}.

"ऐ मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह की ओर तौबा (पश्चाताप) करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो।" (सूरतुन्नूर: 31)

यह विलंब एक पाप है, इसलिए इस से अल्लाह के समक्ष पश्चाताप करना आवश्यक है।

दूसरी चीज़:

अपने गुमान के अनुसार रोज़ा रखने में जल्दी करें। अल्लाह किसी भी व्यक्ति पर उसकी शक्ति से अधिक बोझ नहीं डालता। अतः आपका जितने भी दिनों के रोज़े छोड़ने का गुमान है, आपको उतने दिनों का रोज़ा रखना चाहिए। यदि आपका गुमान यह है कि वे दस दिन हैं, तो आप दस दिनों का रोज़ा रखें। अगर आपको लगता है कि वे इससे अधिक या उससे कम हैं, तो आप अपने गुमान के अपेक्षानुसार रोज़ा रखें। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

لَا يَكُلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة : 286}

"अल्लाह तआला किसी प्राणी पर उसके सामर्थ्य से अधिक भार नहीं डालता।" (सूरतुल-बक्रा: 286)

तथा अल्लाह सर्वशक्तिमान का कथन है :

فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي إِذْنٍ {النَّفَاجِبُ: ١٦}

"अतएव अपनी यथाशक्ति अल्लाह से डरते रहो।" (सूरतुत्-तग़ाबुन: 16)

तीसरी चीज़:

प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं, भले ही आप इसे पूरे का पूरा एक ही गरीब व्यक्ति को दे दें। लेकिन अगर आप निर्धन हैं और खाना खिलाने की क्षमता नहीं रखती हैं, तो इस विषय में आपके ऊपर रोज़ा और पश्चाताप के अलावा कुछ भी अनिवार्य नहीं है।

प्रत्येक दिन के बदले एक गरीब व्यक्ति को खाना खिलाने की अनिवार्य मात्रा देश के मुख्य भोजन (खाद्य) का आधा "साअ" है, जो डेढ़ किलो के बराबर होता है।